फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

मेहरचन्द बनाम सरपंच, ग्रा0पं0 मन्नीवाली व हरीराम वगैरा

निगरानी पंचायत अ0 धारा 97 राज0 पंचायत राज अधि0,1994

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 48/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
27–9–16	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए निगरानी दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। स्थगन प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि जिस भूमि क्षेत्र में गैरनिगरानीकर्ता को पट्टे जारी किये गये हैं, उन भूखण्डों पर अप्रार्थीगण मिट्टी डाल रहे हैं तथा मकान बनाने पर उतारू हैं। यदि मकान का निर्माण हो गया तो ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू निगरानीकर्ता के पक्ष में हैं। अतः स्थगन जारी किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया। निगरानी के निस्तारण में समय लगने के संभावना है। दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रथमदृष्टया मामला निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र आरजी तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण को आवंटित भूखण्ड के मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। निगरानीधीन आदेश से संबंधित मूल रेकार्ड तलब किया जावे। आदेशिका की प्रति जारी हो। पत्रावली दिनांक 22–11–16 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)	N.J. with other 2465 7.10.16
22.11.16	नि० कर्ता के Ad. उप०। अप्रार्थी सं० एक की ओर से श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ Ad. ने वकालतनामा व फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये। शा० मिसल रहे। वकील नि० कर्ता ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जगदीश V/S BDO सादुलशहर के प्रकरण में आज की पेशी है, दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जावे। सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया	

27/9/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते इंतजार रिकॉर्ड दिनांक 16/11/23 को पेश हो।

16.11.23 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ ...चुनाव कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 23/1/24 को पेश हो।

23.1.24 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 20/2/24 को पेश हो।

20/2/24 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 13/3/24 को पेश हो।

13/3/24 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ .... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 20/5/24 को पेश हो।

20.5.24 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। सम्बन्धित से रिकॉर्ड प्राप्त नहीं। पुनः रिकॉर्ड के लिए लिखा जावे। पत्रावली आइन्दा दिनांक 12.06.24 को पेश हो। 710 20/5/24

12/6/24 पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर .... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 3/7/24 को पेश हो।

3/7/2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता स्वयं उपस्थित नही। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता स्वयं को पृथक–पृथक समय पर रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए । ऐसी स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)